

पत्रांक : सम्बद्धता/2025/06/6767

दिनांक : 18/06/2025.

अति महत्वपूर्ण/समयवद्ध

सेवा में,
प्राचार्य/प्रबन्धक

1- Badami Devi Mahila Mahavidyalaya, Marhawan, Deoria	B.A. - Ancient History, Education, Home Science, Hindi, Political Science, Sanskrit, Sociology,
2- Khudaija Bibi Makhdoom Bakhsh Girls Degree College, Laar, Deoria	B.A. - Urdu
3- R. N. Mahavidyalaya, Harnautha, Deoria	B.A. - Hindi, Education, Geography, Political Science, Sanskrit, Sociology, Home Science
4- Rana Dileep Chandra Singh Kismati Devi Vidyapeeth Mahavidyal, Gorakhpur	B.A. - English, Geography, Home Science, Hindi, Political Science, Sanskrit, Sociology
5- Triyugi Narayan Manorama Mahila Mahavidyalaya, Bhiti Tiwari, Gorakhpur	B.A. - Education, History, Home Science, Hindi, Political Science, Sanskrit, Sociology,
6- V.N.B.P. Degree College, Parmeshwarpur Maharajganj, Gorakhpur	B.A. - Computer Application, Education, Sanskrit, Physical Education, B.Sc.-Botany, Chemistry, Mathematics, Physics, Zoology,

सम्बद्ध- दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

विषय- शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु सम्बद्धता की निरन्तरता हेतु आख्या एवं अभिलेख प्रस्तुत न करने पर प्रवेश प्रतिबंधित करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया, उपर्युक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के पत्रांक सम्बद्धता/2025/04/6609 दिनांक 21.04.2025 एवं पत्रांक सम्बद्धता/2025/05/6707 दिनांक 24.05.2025 द्वारा शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु सम्बद्धता की निरन्तरता (विस्तारण) बनाये रखने हेतु 13 विन्दुओं पर पत्रजात/अभिलेख प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। सूच्य है कि सत्र 2025-26 हेतु भी निम्न पत्रजात के साथ वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.01.2024 एवं मा0 कार्य परिषद की बैठक दिनांक 01.02.2024 के क्रम में प्रत्येक पाठ्यक्रम के सम्बद्धता विस्तारण हेतु निर्धारित शुल्क रु0 10000/- एवं 18 प्रतिशत जीएसटी के साथ विश्वविद्यालय के लेखा अनुभाग में जमा करने हेतु भी निर्देशित किया गया था। उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त महाविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता की निरन्तरता हेतु प्रस्ताव/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार आपको सूचित किया जाता है कि शैक्षिक सत्र 2025-26 में आपके महाविद्यालय में नवीन प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। यदि आप द्वारा कोई प्रवेश किया जाता है तो विश्वविद्यालय उनकी परीक्षा नहीं करायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समन्वयक, आई0टी0सी0 सेल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं सम्बन्धित महाविद्यालयों की लॉगइन में प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
2. प्रभारी सचिव कुलपति कार्यालय, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3. वैय0 सहायक कुलसचिव।

कुलसचिव